न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर (उत्तर)

पीठासीन अधिकारीः— प्रीतम कुमार, आई.ए.एस.

राजस्व प्रार्थनापत्र संख्याः— 05 / 2026

जीसीएमएस संख्या :— 2026 / 20

प्रार्थीगणः—

1. ओंकारसिंह पुत्र श्री शोभाराम,
2. भीमसिंह पुत्र श्री शोभाराम,
3. कुलदीपसिंह पुत्र श्री रूकमणसिंह,
4. चन्द्रशेखर पुत्र श्री रूकमणसिंह,
5. ज्ञानेश्वर पुत्र श्री रूकमणसिंह,
6. सुशीला देवी पुत्री श्री रूकमणसिंह,
7. सुमित्रा पुत्री श्री रूकमणसिंह,
8. उषा पुत्री श्री रूकमणसिंह,
9. भगवती पुत्री श्री रूकमणसिंह,
10. ललिता पुत्री श्री रूकमणसिंह,
11. दिनेश पुत्र श्री महेशचन्द्र,
12. नरेन्द्र पुत्र श्री महेशचन्द्र,
13. संदीप पुत्र श्री महेशचन्द्र,
14. विद्यादेवी पत्नि श्री महेशचन्द्र,
15. विरेन्द्र भाटी पुत्र श्री ओमप्रकाश, सभी जातियान—माली, निवासीगण— ग्राम चैनपुरा तहसील व जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीगणः—

1. भूमिधारी जरिये तहसीलदार जोधपुर, जिला—जोधपुर।
2. नायब तहसीलदार, जोधपुर।
3. पटवारी, पटवार हल्का सुरपुरा तहसील जोधपुर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956

आदेश दिनांकः— 12/3/26

उपस्थितिः—

1. प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री राजकुमार गहलोत, श्री प्रकाश चौधरी।
2. अप्रार्थी सं. 1 की ओर से सरकारी पैराकार।

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू—राजस्व अधिनियम का इस न्यायालय में प्रस्तुत कर रखा है, जिसके तथ्य सक्षेंप में इस प्रकार से है कि यह है

उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (उत्तर)

Scanned with OKEN Scanner

कि प्रार्थीगण ग्राम चैनपुरा तहसील व जिला जोधपुर के मूल निवासी है। प्रार्थीगण संयुक्त खातेदारी काश्तकारी की पुश्तैनी कृषि भूमि वाके ग्राम सुरपुरा, पटवार क्षेत्र सुरपुरा, भू.अ. निरीक्षक क्षेत्र मण्डोर, तहसील जोधपुर, जिला जोधपुर के खसरा नम्बर 322 रकबा 9.9067 हैक्टैयर यानि 61 बीघा 04 बिस्वा किस्म बारानी प्रथम आयी हुई है जो वक्त सेटलमेंट से चली आ रही है। प्रार्थीगण व उनके पूर्वजों का नाम राजस्व रेकर्ड में वक्त सेटलमेंट से चला आ रहा है तथा पूर्वजों के फौत होने पर उनके फौतदगी नामान्तरकरण राजस्व रेकर्ड में समय–समय पर दर्ज होते रहे है। ग्राम सुरपुरा की जमाबंदी सम्वत् 2061–2064 के खाता संख्या नया 111 पुराना 106 में ओंकारसिंह, **रूकमणसिंह, महेशचन्द्र,** भिंवसिंह **ओमप्रकाश** पि. शोभाराम, **छगनी बेवा भोभाराम** बतौर खातेदार काश्तकार के रूप में दर्ज थे। उक्त जमाबंदी में दर्ज खातेदारान् काश्तकारान् में से रूकमणसिंह पि. शोभाराम व छगनी पत्नि शोभाराम के फौत के स्थान पर ओंकाररसिंह, महेशचन्द्र, भीमसिंह, ओमप्रकाश, सुशीलादेवी पत्नि रूकमणसिंह, कुलदीप, चन्द्रशेखर, ज्ञानेश्वर पि. रूकमणसिंह, सुमित्रा, उषा, भगवती ललिता पुत्रीयां रूकमणसिंह माली नामान्तरकरण संख्या 531 दिनांक 01.03.2012 के जरिये दर्ज हुआ। इसी ओमप्रकाश पि. शोभाराम के फौत के स्थान पर विरेन्द्र भाटी पि. ओमप्रकाश नामान्तरकरण सं. 764 दिनांक 04.06.2019 के जरिये दर्ज हुआ। तथा महेशचन्द्र के फौत के स्थान पर विद्यादेवी पत्नि महेशचन्द्र, दिनेश, नरेन्द्र भाटी, संदीप भाटी पि. महेशचन्द्र का नाम नामान्तरकरण 765 दिनांक 04.06.2019 के जरिये दर्ज हुआ। **जमाबंदी सम्वत् 2061–2064 की प्रति सलंग्न है।** इस प्रकार प्रार्थीगण का नाम जमाबंदी सम्वत् 2061–2064 में निरन्तर बतौर खातेदार काश्तकार के रूप में दर्ज चला आ रहा था। हाल ही में दिनांक 25.10.2025 को प्रार्थीगण द्वारा ग्राम सुरपुरा के खसरा नम्बर 322 की नवीनतम जमाबंदी सम्वत् 2081–2084 की ऑनलाईन नकल का अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रार्थीगण का नाम जमाबंदी में बतौर खातेदार काश्तकार के रूप में दर्ज ही नहीं है तब प्रार्थीगण एकदम दंग रह गये एवं तुरन्त प्रभाव से पटवारी पटवार हल्का सुरपुरा से सम्पर्क कर पटवारी हल्का को इस बारे में अवगत कराया गया कि तहसील ऑनलाईन करते समय उनका नाम नवीन जमाबंदी में नाम बतौर खातेदार काश्तकार के रूप में नहीं आया है तब पटवारी हल्का ने प्रतिउत्तर दिया कि क्प्स्त्ड्च कार्य के दौरान तहसील व जमाबंदी ऑनलाईन करते समय भूलवंश व लिपिकिय त्रुटि से आपका नाम जमाबंदी आने से रह गया होगा इसलिए आपको जमाबंदी में शुद्धि करवाने हेतु प्रार्थना–पत्र तहसीलदार जोधपुर के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। जिस पर प्रार्थीगण ने बिना देरी किये हुए एक प्रार्थना–पत्र नवीन जमाबंदी में शुद्धि करवाने हेतु दिनांक 27.10.2025 को श्रीमान् तहसीलदार साहब के समक्ष प्रस्तुत किया। जिस पर तहसीलदार साहब ने पटवारी हल्का को जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया। जमाबंदी सम्वत् 2081–2084 की प्रति व प्रार्थना–पत्र की प्रति सलंग्न है। प्रार्थीगण द्वारा जब 25–30 दिन बाद पटवार हल्का से सम्पर्क किया गया तो पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट नायब तहसीलदार जोधपुर के समक्ष प्रस्तुत कर दी गई बताया गया, तब प्राथीगण ने नायब तहसीलदार जोधपुर से सम्पर्क किया तो नायब तहसीलदार जोधपुर ने राजस्व रेकर्ड में दर्ज खातेदारान् के हिस्से खुले हुए नहीं है इसलिए हिस्से हेतु साक्ष्य प्रस्तुत करे तब प्रार्थीगण ने ग्राम सुरपुरा की खतौनी जमाबंदी हिस्सा ए–2 सम्वत् 2008 व 2011 की प्रस्तुत की जिसमें वक्त सेटलमेंट से किस खातेदारान् काश्तकार का कितना हिस्सा है अंकन किया हुआ (खतौनी जमाबंदी हिस्सा ए–2 की प्रतियां सलंग्न है) एवं अंकन हिस्से अनुसार मौके पर भी काबिज काश्त है, लेकिन नायब तहसीलदार जोधपुर ने प्रार्थीगण का नाम नवीनतम जमाबंदी में यह जोड़ने से इनकार कर दिया कि यह मामला तो भू–राजस्व अधिनियम की धारा 136 के तहत बनता है इसलिए वह जमाबंदी में शुद्धिपत्र के माध्यम से शुद्धि नहीं करवा सकते है। इसलिए प्रार्थीगण को मजबूरन यह प्रार्थना–पत्र जमाबंदी में शुद्धि करवाने हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना पड़ रहा है। प्रार्थीगण का नाम नवीनतम जमाबंदी सम्वत् 2081–2084 की DILRMP कार्य के तहत तहसील ऑनलाईन करते समय जमाबंदी में भूलवंश व लिपिकिय त्रुटि से बिना किसी सक्षम आदेश से हटा दिये गये जिसको पुनः राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जाना न्यायहित में कानून आवश्यक है। यदि प्रार्थीगण का नाम पूर्व जमाबंदी अनुसार लगातार चले आ रहे का वर्तमान चालू जमाबंदी में नाम अमल दरामद नहीं किया गया तो उक्त जमाबंदी में जो प्रार्थीगण के हिस्से की कृषि भूमि जिस खातेदारान् काश्तकार के हिस्से में अधिक जुड़ी वह

उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (उत्तर)

Scanned with OKEN Scanner

कृषि भूमि हिस्से से अधिक बैचान, हस्तांतरण कर सकता है। अगर ऐसा हो जाता है तो प्रार्थीगण के हक व अधिकारों के साथ कुठाराघात् होगा जिसकी भाईपाई मूल्यों में नहीं की जा सकती है। इसलिए न्यायहित में प्रार्थीगण का नाम बतौर नवीनतम जमाबंदी में इन्द्राज किया जाकर शुद्धि किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। यदि प्रार्थीगण का नाम पुनः राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद नहीं किया जाता है तो वे अपने हक व अधिकारों से वंचित रह जायेगे। इसलिए प्रार्थीगण के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं हो इसलिए न्यायहित में राजस्व रेकर्ड में शुद्धि किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। हाल ही में दिनांक 15.12.2025 को तहसीलदार जोधपुर द्वारा प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र दिनांक 27.10.2025 पर जमाबंदी में शुद्धि करने हेतु इनकार करने पर यह प्रार्थना–पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। उक्त कृषि भूमि ग्राम सुरपुरा तहसील व जिला जोधपुर में स्थित होने से माननीय न्यायालय को उक्त प्रार्थना–पत्र को सुनवाई का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार प्राप्त है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा सुरपुरा पटवार क्षेत्र सुरपुरा, भू.अ.निरीक्षक क्षेत्र मण्डोर तहसील व जिला जोधपुर के खसरा नम्बर 322 रकबा 9.9067 हैक्टैयर यानि 61 बीघा 04 बिस्वा कृषि भूमि में प्रार्थीगणों के नाम जमाबंदी सम्वत् 2061–2064 में बतौर खातेदार काश्तकार के रूप में दर्ज थे उनको DILRMP कार्य के तहत तहसील ऑनलाईन करते समय जमाबंदी सम्वत् 2081–2084 में भूलवंश व लिपिकिय त्रुटि से अमल दरामद करने से रहे गये थे/नाम इन्द्राज करने से रह गये है उनको पुनः राजस्व रेकर्ड अमल दरामद करते हुए राजस्व रेकर्ड में शुद्धि किये जाने के आदेश तहसीलदार जोधपुर अप्रार्थीगण को पारित फरमावें। अन्य उचित आदेश प्रार्थीगण के पक्ष में हो पारित फरमाया जावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया एवं तहसीलदार जोधपुर को विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त करने हेतु तहरीर जारी की गई। तहसीलदार जोधपुर से रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार जोधपुर रिपोर्ट अनुसार मौजा सुरपुरा संवत् 1999 के खाता संख्या 75 में खसरा संख्या 322 किस्म बा.1 गैर मु. मकबजा सिकार औरीया म. जकुर (पडत कदिम) के नाम दर्ज थी। ग्राम सुरपुरा के खसरा संख्या 322 रकबा 61–04 बीघा में नामान्तरकरण संख्या 104 में राज सरकार से मुनीलाल पुत्र भोमाराम, भोमाराम पुत्र पीथाराम भंवरू संकर सोहन पि. पाबूराम, मोवनराम पुत्र भोमाराम, मागीलाल पुत्र गुमनाराम, भोमाराम पुत्र गोबरराम, गोबरराम पुत्र तेजाराम माली, सेराराम पुत्र मदाराम विश्नोई सा. देह खातेदार के नाम धारा 15 के तहत खातेदारी दी गयी थी। (उक्त ना.सं. 104 माननीय न्यायालय अपर जिला कलेक्टर तृतीय जोधपुर के पत्रांक एडीएम 3/कोर्ट/2020/1830 दिनांक 15.01.2020 की पालना मे मूल नामान्तरण कोर्ट में भेजा गया है। जिसकी सत्यप्रतिलपि संलग्न है। जमाबंदी संवत् 2032–2035 के खाता संख्या 41 खसरा संख्या 322 रकबा 61–04 बीघा किस्म बा.। गैमु में मुनीलाल पुत्र भोमाराम, भोमाराम पुत्र पिथाराम भंवरलाल शंकरलाल सोनराज पि. पाबूराम, मोवनराम पुत्र भोमाराम मागीलाल पुत्र गुमनीराम भोमाराम पुत्र गोबरराम, गोबरराम पुत्र तेजाराम, सेराराम पुत्र मदाराम विश्नोई सा. देह खातेदार है। जमाबंदी संवत् 2036–2039 के खाता संख्या 81 संख्या 322 रकबा 61–04 बीघा किस्म बा.। गैमु में मुनीलाल पुत्र भोमाराम, भोमाराम पुत्र पिथाराम भंवरलाल शंकरलाल सोनराज पि. पाबूराम, मोहनराम पुत्र भोमाराम मागीलाल पुत्र गुमनीराम, भोमाराम पुत्र गोबरराम, गोबरराम पुत्र तेजाराम, सेराराम पुत्र मदाराम विश्नोई सा. देह खातेदार नामान्तरकरण संख्या 104 दर्ज है। जमाबंदी संवत् 2041–2044 के खाता संख्या 99 संख्या 322 रकबा 61–04 बीघा किस्म बा.। गैमु में मुनीलाल पुत्र भोमाराम, भोमाराम पुत्र पिथाराम भंवरलाल शंकरलाल सोहनलाल पि. पाबूराम, मोहनराम पुत्र भोमाराम मागीलाल पुत्र गुमनीराम, भोमाराम पुत्र गोबरराम, गोबरराम पुत्र तेजाराम माली, सेराराम पुत्र मदाराम विश्नोई सा. देह खातेदार दर्ज है। जमाबंदी संवत् 2045–2048 के खाता संख्या 101 संख्या 322 रकबा 61–04 बीघा किस्म बा.। गैमु में मुनीलाल पुत्र भोमाराम, भोमाराम पुत्र हिमताराम, भंवरलाल शंकरलाल सोहनलाल नलाल पि. पाबूराम, मोहनराम पुत्र भोमाराम, मांगीलाल पुत्र गुमनीराम, भोमाराम पुत्र गोबरराम, गोबरराम पुत्र तेजाराम माली, सेराराम पुत्र मदाराम विश्नोई सा. देह खातेदार दर्ज है। नामान्तरकरण संख्या 180 से दर्ज है। 7. यह है कि जमाबंदी संवत् 2049–2052 के खाता संख्या 109 संख्या 322 रकबा 61–04 बीघा किस्म बा.। में मुनीलाल पुत्र भोमाराम, भोमाराम पुत्र हिमताराम, भंवरलाल शंकरलाल सोहनलाल पि.

उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (उत्तर)

Scanned with OKEN Scanner

पाबूराम माली, मोहनराम पुत्र भोमाराम दर्जी मांगीलाल पुत्र गुमनीराम भोमाराम पुत्र गोबरराम, गोबरराम पुत्र तेजाराम कौम माली, सेराराम पुत्र मदाराम विश्नोई सा. देह खाते दार दर्ज है। नामान्तरकण संख्या 180 से दर्ज है। जमाबंदी संवत् 2053–2056 के खाता संख्या 106 संख्या 322 रकबा 61–04 बीघा किस्म बा. में मुनीलाल पुत्र भोमाराम, भोमाराम पुत्र हिम्मताराम, भंवरलाल शंकरलाल सोहनलाल पि. पाबूराम माली, मोहनराम पुत्र भोमाराम दर्जी, मांगीलाल पुत्र गुमनीराम भोमाराम पुत्र गोबरराम, गोबरराम पुत्र तेजाराम कौम माली, सेराराम पुत्र मदाराम विश्नोई सा. देह खातेदार दर्ज है। नामान्तरकरण सं. 251 फौतदगी दिनांक 22.04.1997 से भोमाराम पुत्र हिम्मताराम फोत के स्थान पर जयसिंह पुत्र भोमाराम ओकारसिंह रूकमणसिंह महेशचन्द्र भीमसिंह ओमप्रकाश पुत्रान् शोभाराम, छगनी बेवा शोभाराम दर्ज हुआ। जमाबंदी संवत् 2061–2064 के खाता संख्या 111 संख्या 322 रकबा 61–04 बीघा किरम बा. में मुनीलाल पुत्र भोमाराम, जयसिंह पुत्र भोमाराम ओकारसिंह रूकमणसिंह महेशचन्द भीवसिंह ओमप्रकाश पुत्रान् शोभाराम छगनी बेवा शोभाराम भंवरलाल शंकरलाल सोहनलाल पि. पाबूराम माली मोहनराम पुत्र भोमाराम दर्जी नारायणीदेवी बेवा मांगीलाल, धनसिंह भारतसिंह अमरसिंह कानाराम पुत्रान् मांगीलाल, कमलीदेवी बेवा जयसिंह. हिम्मतसिंह पुत्र जयसिंह पुत्र गुमनीराम, भोमाराम पुत्र गोबरराम, गोबरराम पुत्र तेजाराम कौम माली, सेराराम पुत्र मदाराम विश्नोई सा. देह खातेदार दर्ज है। (नामा.सं. 308 फोतदगी दिनांक 22.02.2004 मांगीलाल पुत्र गुमनीराम फौत) नामान्तरकरण संख्या 531 दिनांक 01.03.2012 फोतेदगी/हकतर्क से रूकमणसिंह व छगनी फोत के स्थान पर ओकारसिंह महेशचन्द्र भीमसिंह ओमप्रकाश सुशीलादेवी पत्नी रूकमणसिंह, कुलदीप चन्द्रशेखर ज्ञानेश्वर पि. रूकसिंह, सुमित्रा उषा भगवती ललिता पुत्रिया रूकमणसिंह दर्ज हुआ। नामा. संख्या 765 दिनांक 04.06.2019 विरासत/हकतर्क से ओमप्रकाश फौत के स्थान पर विरेन्द्र भाटी पुत्र ओमप्रकाश दर्ज हुआ। नामा. संख्या 765 दिनांक 04.06.2019 विरासत/हकतर्क से महेशचन्द्र फोत के स्थान पर विद्यादेवी पत्नी महेशचन्द्र, दिनेश नरेन्द्र भाटी संदीप भाटी पि. महेशचन्द्र दर्ज हुआ। ग्राम सुरपुरा की वर्तमान ऑनलाईन जमाबंदी संवत् 2081–2084 के खाता सं. 21 में ओकारसिंह भीमसिंह पुत्रान् शोभाराम, सुशीलादेवी पत्नी रूकमणसिंह, कुलदीप चन्द्रशेखर ज्ञानेश्वर पि. रूकमणसिंह, सुमित्रा उषा भगवती ललिता पुत्रियां रूकमणसिंह, विद्यादेवी पत्नी महेशचन्द्र, दिनेश नरेन्द्र भाटी संदीप भाटी पि. महेशचन्द्र, विरेन्द्र भाटी पुत्र ओमप्रकाश का नाम दर्ज नहीं है। DILRMP कार्य के दौरान जमाबंदी ऑनलाईन करते समय ओकारसिंह भीमसिंह पुत्रान् शोभाराम, सुशीलादेवी पत्नी रूकमणसिंह, कुलदीप चन्द्रशेखर ज्ञानेश्वर पि. रूकमणसिंह, सुमित्रा उषा भगवती ललिता पुत्रियां रूकमणसिंह, विद्यादेवी पत्नी महेशचन्द्र दिनेश नरेन्द्र भाटी संदीप भाटी पि. महेशचन्द्र, विरेन्द्र भाटी पुत्र ओमप्रकाश का नाम लिपिकीय त्रुटि से दर्ज होने रह गया।

हमने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, प्रार्थी विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गयी बहस एवं बहस के दौरान दिये गये तर्कों का अध्ययन कर विचार किया गया। प्रार्थी की ओर से उक्त प्रार्थना पत्र धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत किया गया है। उक्त अधिनियम में धारा 136 का मुख्य कारण यह है कि राजस्व रेकॉर्ड में लिपिकीय त्रुटीवश होने पर उसे शुद्धीकरण किया जा सकता है।

हमनें प्रस्तुत प्रार्थना पत्र जवाब प्रार्थना पत्र उभयपक्ष विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गई बहस एवं बहस के दौरान दिये गये तर्कों का अध्ययन किया गया। तहसीलदार जोधपुर द्वारा प्रेषित रिपोर्ट में नामान्तरकरण सं. 251 फौतदगी दिनांक 22.04.1997 से भोमाराम पुत्र हिम्मताराम व शोभाराम पुत्र भोमाराम फोत के स्थान पर जयसिंह पुत्र भोमाराम ओकारसिंह रूकमणसिंह महेशचन्द्र भीमसिंह ओमप्रकाश पुत्रान् शोभाराम, छगनी बेवा शोभाराम दर्ज हुआ। ग्राम सुरपुरा की वर्तमान ऑनलाईन जमाबंदी संवत् 2081–2084 के खाता सं. 21 में ओकारसिंह भीमसिंह पुत्रान् शोभाराम, सुशीलादेवी पत्नी रूकमणसिंह, कुलदीप चन्द्रशेखर ज्ञानेश्वर पि. रूकमणसिंह, सुमित्रा उषा भगवती ललिता पुत्रियां रूकमणसिंह, विद्यादेवी पत्नी महेशचन्द्र, दिनेश नरेन्द्र भाटी संदीप भाटी पि. महेशचन्द्र, विरेन्द्र भाटी पुत्र ओमप्रकाश का नाम दर्ज नहीं है। नामान्तरकरण संख्या 531 दिनांक 01.03.2012 फोतेदगी/हकतर्क से रूकमणसिंह व छगनी फोत के स्थान पर ओकारसिंह महेशचन्द्र भीमसिंह ओमप्रकाश सुशीलादेवी पत्नी

उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (उत्तर)

Scanned with OKEN Scanner

रूकमणसिंह, कुलदीप चन्द्रशेखर ज्ञानेश्वर पि. रूकसिंह, सुमित्रा उषा भगवती ललिता पुत्रिया रूकमणसिंह दर्ज हुआ। नामा. संख्या 765 दिनांक 04.06.2019 विरासत/हकतर्क से ओमप्रकाश फौत के स्थान पर विरेन्द्र भाटी पुत्र ओमप्रकाश दर्ज हुआ। नामा. संख्या 765 दिनांक 04.06.2019 विरासत/हकतर्क से महेशचन्द्र फोत के स्थान पर विद्यादेवी पत्नी महेशचन्द्र, दिनेश नरेन्द्र भाटी संदीप भाटी पि. महेशचन्द्र दर्ज हुआ। DILRMP कार्य के दौरान जमाबंदी ऑनलाईन करते समय जयसिंह पुत्र भोमाराम के वारिसान अनिल कुमार वगैराह का तो नाम जमाबंदी में नाम आ गया लेकिन शोभाराम पुत्र भोमाराम के वारिसान ओकारसिंह भीमसिंह पुत्रान् शोभाराम, सुशीलादेवी पत्नी रूकमणसिंह, कुलदीप चन्द्रशेखर ज्ञानेश्वर पि. रूकमणसिंह, सुमित्रा उषा भगवती ललिता पुत्रियां रूकमणसिंह, विद्यादेवी पत्नी महेशचन्द्र दिनेश नरेन्द्र भाटी संदीप भाटी पि. महेशचन्द्र, विरेन्द्र भाटी पुत्र ओमप्रकाश का नाम लिपिकीय त्रुटि से दर्ज होने रह गया एवं दस्तावेजात से राजस्व रेकर्ड में प्रथम दृष्ट्या लिपिकीय त्रुटि जाहिर होती है ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र तहसीलदार जोधपुर की अनुशंषा के आधार पर स्वीकार किया जाता है। प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा दस्तावेजजी साक्ष्य का अवलोकन करने के उपरान्त तहसीलदार जोधपुर को आदेशित किया जाता है कि ग्राम सुरपुरा की वर्तमान ऑनलाईन जमाबंदी संवत् 2081–2084 के खाता सं. 21 में ओकारसिंह भीमसिंह पुत्रान् शोभाराम, सुशीलादेवी पत्नी रूकमणसिंह, कुलदीप चन्द्रशेखर ज्ञानेश्वर पि. रूकमणसिंह, सुमित्रा उषा भगवती ललिता पुत्रियां रूकमणसिंह, विद्यादेवी पत्नी महेशचन्द्र, दिनेश नरेन्द्र भाटी संदीप भाटी पि. महेशचन्द्र, विरेन्द्र भाटी पुत्र ओमप्रकाश का नाम राजस्व दर्ज करे। तद्उपरांत राजस्व रेकर्ड में रही लिपिकीय त्रुटि की विवेचना एवं की विधि अनुसार जांच कर समस्त खातेदारों का राजस्व रेकर्ड में त्रुटी सुधार कर रेकार्ड संधारित करें।

(प्रीतम कुमार) IAS
उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (उत्तर)

आदेश आज दिनांक 12/3/26 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रीतम कुमार) IAS
उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (उत्तर)

उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) जोधपुर